भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारां कत प्रश्न संख्या 1**19***

(सोमवार, **27** जुलाई, **2026/5** श्रावण, **1948 (**शक) को उत्तर के लए)

आपदा की स्थिति से बाहर निकलने और व्यापार की निरंतरता को बनाए रखने संबंधी तंत्र

***119.** श्री थरु दयानि ध मारनः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री मह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार ने इस संबंध में आकलन कया है क कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के डाटा सेंटर में आग लगने से सां व धक फाइ लंग, कंपनी निगमन और वनियामक अनुपालन पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा इस घटना से कतनी सेवाएं बा धत हुई हैं और कतने हितधारक प्रभा वत हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) चेन्नई में आपदा रिकवरी स्थल की उपलब्धता के बावजूद आपदा की स्थिति से बाहर निकलने और व्यापार की निरंतरता संबंधी तंत्र के महत्वपूर्ण कारपोरेट सेवाओं की निर्बाध सुलभता सुनिश्चित करने में वफल रहने के क्या कारण है,

(ग) क्या लंबे समय तक पोर्टल बंद होने के कारण कंपनियों, स्टार्ट-अप और पेशेवरों को सां व धक अनुपालन में वलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लए क्या कदम उठाए गए हैं क उन्हें इसके लए दं डत नहीं कया जाए

(घ) आग लगने के कारणों, डेटा मा अवसंरचना पर पड़ने वाले प्रभाव की सीमा सहित आग लगने की घटना के संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा साइबर सुरक्षा, अतिरेक और आपदा प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करने के लए कए गए उपाय क्या है, और

(ङ) क्या सरकार का वचार ऐसे व्यवधानों की पुनरावृत्ति को रोकने के लए उच्च उपलब्धता बाले डांचे और भौगो लक रूप से वतरित बैकअप प्रणा लयों के साथ एमसीए डजिटल अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है**?**

उत्तर

वत्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ङ): ववरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

आपदा रिकवरी एवं व्यवसाय निरंतरता तंत्र के संबंध में माननीय सांसद श्री थरु दयानि ध मारन द्वारा दिनांक **27** जुलाई, **2026** के लए पूछे गए लोक सभा तारां कत प्रश्न संख्या **119** के भाग (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) के उत्तर में उल्लि खत ववरण।

(क): जी हाँ। **5** जून, **2026** को नई दिल्ली स्थित प्राथ मक डाटा सेंटर सु वधा में आग लगने की घटना के पश्चात, आपदा रिकवरी योजना को तत्काल प्रभाव से लागू कया गया तथा चेन्नई स्थित आपदा रिकवरी केंद्र से निर्धारित रिकवरी समय के भीतर एमसीए**21** की मुख्य सेवाएं स क्रय कर दी गईं। बैक ऑ फस परिचालनों से संबं धत कुछ सहायक परिवेशों तथा सेवाओं को पूर्ण रूप से बहाल कए जाने से पूर्व अतिरिक्त संकालन, सत्यापन तथा रिकवरी गति व धयों की आवश्यकता थी। तथा प, ये सेवाएं एमसीए**21** की मुख्य फ्रंट ऑ फस सेवाओं का भाग नहीं थीं तथा इनके कारण मुख्य सां व धक फाइ लंग तथा निगमन सेवाओं में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ।

(ख): आपदा रिकवरी तथा व्यवसाय निरंतरता तंत्र वफल नहीं हुए। घटना के तुरंत बाद इन तंत्रों को लागू कया गया तथा सं वदात्मक रिकवरी समय के भीतर आपदा रिकवरी केंद्र से एमसीए**21** की मुख्य सेवाएं स क्रय कर दी गईं।

(ग): आपदा रिकवरी तंत्र लागू कए जाने के पश्चात एमसीए**21** पोर्टल की मुख्य सेवाओं में कसी दीर्घका लक व्यवधान की सूचना प्राप्त नहीं हुई। तथा प, घटना के पश्चात आपदा रिकवरी केंद्र में क्षमता संवर्धन तथा पुनर्बहाली संबंधी गति व धयों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने हितधारकों को घटना के कारण कसी प्रकार के प्रतिकूल परिणाम का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लए अनेक राहत उपाय भी प्रारंभ कए। इन उपायों में कुछ सां व धक फाइ लंगों के लए अतिरिक्त शुल्क की माफी, अनुमोदित नाम आरक्षण की वैधता अव ध का वस्तार, ई-प्ररूपों के पुनः प्रस्तुत करने की समय-सीमा का वस्तार आदि शा मल थे।

(घ): प्रारं भक तकनीकी तथा इन्वेंट्री आकलन से यह संकेत मलता है क आग लगने की घटना डाटा सेंटर के उस बैटरी कक्ष अथवा आसन्न उपयो गता क्षेत्र में अथवा उसके आसपास उत्पन्न हुई, जहां अन्य अ भकरणों का अवसंरचना भी स्थित है। प्रारं भक आकलन से यह भी संकेत मलता है क प्राथ मक डाटा सेंटर में उपलब्ध संगणन, भंडारण, नेटवर्क, सुरक्षा तथा अन्य सहायक अवसंरचना, ढांचा, अग्नि, का लख, नमी तथा उससे संबं धत पर्यावरणीय प्रभावों से प्रभा वत हुई। एप्लिकेशन डाटा की कसी हानि का पता नहीं चला है। यह घटना अवसंरचनात्मक प्रकृति की थी तथा अग्निकांड के संबंध में कसी साइबर सुरक्षा उल्लंघन अथवा एप्लिकेशन डाटा में कसी प्रकार के जो खम में पड़ने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ): उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर के दृष्टिगत, वर्तमान में ऐसे उपायों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
